संख्या-786/77-6-15/16(एम)/14

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0।
4- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 02 जून, 2015

विषय: उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति , 2012 के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग -6) के शासनादेश संख्या -1262/77-6-12-8(एम)/12, दिनांक 07-09-2012 द्वारा प्रख्यापित *अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012* का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसके प्रस्तर -5.6‘"उपादान योजनायें" शीर्षक के अन्तर्गत नयी औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न उपादान योजनाओं के लाभ अनुमन्य किये गये हैं।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति -2012 के प्रस्तर -5.6‘में उल्लिखित उपादान योजनाओं के लाभ नयी औद्योगिक इकाईयों के साथ-साथ विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली इकाइयों को भी अनुमन्य कराये जाने हेतु उक्त नीति के प्रस्तर संख्या-5.6 में संशोधन के संबंध में शासनादेश संख्या संख्या -175/77-6-15-16(एम)/14, दिनांक 10-02-2015 निर्गत किया गया है। त दनुसार पूंजीगत ब्याज उपादान योजना -2012 के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या -1415/77-6-12-8(एम)/12टीसी, दिनांक 30-11-2012, अवस्थापना ब्याज उपादान योजना -2012 के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1385/77-6-12-8(एम)/12टीसीI, दिनांक 30-11-2012 तथा ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति

http://shasanadesh.up.nic.in

योजना-2012 के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या -1456/77-6-12-8(एम)/12टीसीII, दिनांक 23-01-2013 अब उक्त सीमा तक संशोधित हो गये हैं।

3- अग्रेतर, उल्लेखनीय है कि तीनों योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पृथक-पृथक निर्गत उक्त शासनादेशों के संगत प्रस्तर "योजनान्तर्गत उपादान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया" के उप प्रस्तर में यह व्यवस्था की गयी हैः-

''*"इकाई/कम्पनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र "प्रारूप-ग" में नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध संबंधित संस्था के साथ संपादित कराया जायेगा।"*

इस संबंध में अवगत कराना है कि "प्रारूप-ग" का निर्धारण तत्समय उक्त शासनादेशों के निर्गमन के समय नही हो पाया था , इस कारण उक्त शासनादेशों के साथ संलग्नक के रूप में "प्रारूप-ग" वस्तुतः संलग्न नही था। अतः शासन द्वारा उक्त तीनों योजनाओ यथा-पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012, अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 तथा औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना -2012 के लिए पृथक-पृथक ''"प्रारूप-ग" का निर्धारण/प्रारूपण न्याय विभाग के परामर्श से कराये जाने पर सहमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में यथाशीघ्र अग्रेत्तधर कार्यवाही की जाए।

4- उक्त शासनादेश संख्या -175/77-6-15-16(एम)/14, दिनांक 10-02-2015 के द्वारा किये गये संशोधन के उपरान्त , नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग यथा-कताई , बुनाई, निटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाइयों के लिए भी ब्याज प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा के निर्धारण हेतु उक्त नीति के प्रस्तर-5.6.1 "पूंजीगत ब्याज उपादान योजना " के निम्न अंश को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

प्रस्तर	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1	2	3
5.6	उपादान योजनाएं	उपादान योजनाएं
5.6.1	पूंजीगत ब्याज उपादान योजना	पूंजीगत ब्याज उपादान योजना
	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उनके	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण

http://shasanadesh.up.nic.in

	द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रु. 50 लाख होगी। केवल नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग यथा-कताई , बुनाई, निटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाइयों के लिए प्रति वर्ष प्रति इकाई पूर्वांचल , मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रु. 50 लाख होगी।	पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रु. 50 लाख होगी। केवल नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति वर्ष प्रति इकाई पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रु. 50 लाख होगी।

तदनुसार, पूंजीगत ब्याज उपादान योजना -2012 के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08(एम)/12टीसी, दिनांक 30-11-2012 ((यथासंशोधित) उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं
औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या-786(1)/77-6-15/16(एम)/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

4- औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/ निगमों के प्रबन्ध निदेशक एव औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- विशेष सचिव एवं अपर शासकीय हस्तान्तरक न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1।

9- औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव , उपसचिव, अनुसचिव एवं समस्त अनुभाग।

10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 1500 प्रतियां मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

12- नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-786(1)/77-6-15/16(एम)/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निदेशक , सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग , उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in